

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./25/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शैक्षणिक सत्र 2025-26 के आवेदन आमंत्रित करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल का संचालन दिनांक 17.11.2025 से प्रारम्भ कर अन्तिम तिथि दिनांक 31.12.2025 निर्धारित की जाती है। योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र/एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in एवं <http://SJMS.rajasthan.gov.in> पर आवेदन किया जावेगा। आवेदन हेतु पात्रता/शर्त सामान्य दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 7(2)(1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या.एवं.अ.वि./25/ दिनांक :- यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, (समस्त)।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त को भेजकर लेख है कि जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में एवं स्थानिय स्तर पर उक्त योजना का प्रचार प्रसार करेंगे।
9. उप निदेशक (प्रचार) मुख्यावास।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
11. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव